UPGK010023362026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4, गोरखपुर।

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र सं0–1004/2026

दीपक सचान उर्फ घनश्याम पुत्र रामबाबू, निवासी ग्राम बम्हौरी, थाना सेजती, जनपद कानपुर।

----आवेदक।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

-----विपक्षी।

सत्र परीक्षण सं0–791/2023
मु0अ0सं0–67/2015
धारा–41,411,413,414,419,420,467,468,471 IPC
थाना–सिकरीगंज, जिला–गोरखपुर।

दिनांक–13.03.2026

1– अभियुक्त दीपक सचान उर्फ घनश्याम की ओर से द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि सत्र परीक्षण संख्या–791/2023, मु0अ0सं0–67/2015, अन्तर्गत धारा 41,411,413,414,419,420,467,468,471 IPC, थाना सिकरीगंज, जिला गोरखपुर के मामले में न्यायालय में नियत तिथियों को उपस्थित न होने के कारण उसके विरूद्ध गैर जमानती अधिपत्र जारी हुआ है।

2– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में यह आधार लिया गया है कि वह निर्दोष है। उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। वह पूर्व से जमानत पर है। मा० न्यायालय द्वारा जारी सम्मन/सूचना उसे प्राप्त नहीं हुआ। कानपुर देहात पुलिस द्वारा उसे एक फर्जी अभियोग में गिरफ्तार कर लिया गया। वह न्यायालय द्वारा वारण्ट बी पर तलब होकर मुकदमे के परीक्षण में सहयोग हेतु प्रार्थनापत्र दिया था। सहअभियुक्त की पत्रावली पृथक हो चुकी है। वह गरीब व्यक्ति है, तथा उसके छोटे–छोटे बच्चे हैं। उपरोक्त आधारों पर आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की है।

3– अभियोजन की ओर से जमानत का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त लंबी अवधि से अनुपस्थित रहा है, जिसके कारण प्रकरण में विचारण सम्बन्धी कोई प्रगति नहीं हो सकी है। अभियुक्त के न्यायालय को असहयोग के कारण वाद में विचारण की प्रगति प्रभावित हुयी है। यदि अभियुक्त न्यायालय को सहयोग करता तो अब तक ट्रायल समाप्त हो जाता। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की याचना की है।

4– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध उसके न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण दिनांक 02.05.2023 को गैर जमाानती वारण्ट जारी किया गया है, जिसमें उसके जिला कारागार, कानपुर देहात से उपस्थित होने पर दिनांक 28.10.2024 को आरोप विरचित किया गया है। उसके अधिवक्ता की ओर से कथन किया गया है कि मा० न्यायालय द्वारा जारी सम्मन/सूचना उसे प्राप्त नहीं हुआ। कानपुर देहात पुलिस द्वारा उसे एक फर्जी अभियोग में गिरफ्तार कर लिया गया। वह न्यायालय द्वारा वारण्ट बी पर तलब होकर मुकदमे के परीक्षण में सहयोग हेतु प्रार्थनापत्र दिया था।

6– मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोष पर कोई विचार व्यक्त न करते हुए तथा वाद में प्रगति की अपेक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक का जमानत प्रार्थनापत्र इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि वह प्रत्येक नियत तिथि को उपस्थित आता रहेगा, अनावश्यक रूप से हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करेगा तथा मुकदमे के विचारण में पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करेगा।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त दीपक सचान उर्फ घनश्याम का द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। उसके द्वारा मु0 80,000/रू0 (अस्सी हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू तथा इस आशय का अंडरटेकिंग कि वह प्रत्येक तिथि पर स्वयं व जरिए अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होगा, दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

दिनांक–13.03.2026

(नन्द कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष सं0–4,
गोरखपुर।
जे0ओ0 कोड–यू.पी.01702

Digitally signed by NAND KUMAR
Date: 2026.03.13 16:18:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court